



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची
E-mail :- addlpccfddevelopment@gmail.com
Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक :- 01/यो0ब0/झा0पा0-59/2015- 833

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
राँची वन प्रमंडल, राँची।

दिनांक :-16/06/2016

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 में झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क) को अनुदान योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) को रु0 500.00 लाख (पाँच करोड़ रुपये) मात्र की राशि का ऑन-लाईन उप आवंटन के संबंध में।

प्रसंग :- वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-04/यो0बजट-65/2015-02/स्वी0 व0प0 दिनांक 12.05.2016, आवंटन आदेश संख्या-04/यो0बजट-65/2015 -36/आ0 व0प0 दिनांक 12.05.2016 एवं वन विभागीय पत्र संख्या-4/यो0बजट-65/2015-2799 व0प0 राँची, दिनांक-10.06.2016।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2016-17 में झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क) को अनुदान योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के लिए कुल रु0 500.00 लाख (पाँच करोड़ रुपये) मात्र की स्वीकृति प्राप्त राशि का ऑन-लाईन उप आवंटन उपर्युक्त वर्णित वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-04/यो0बजट-65/2015-02/स्वी0 व0प0 दिनांक 12.05.2016 एवं आवंटन आदेश संख्या-04/यो0बजट- 65/2015 -36/आ0 व0प0 दिनांक 12.05.2016 के अन्तर्गत किया जा रहा है।

उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध निम्न प्रकार लघुशीर्ष/इकाईवार राशि आवंटित किया जाता है :-

(राशि लाख में)				
क्र0 सं0	शीर्ष का नाम	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	आवंटित राशि
1	"2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप-मुख्य शीर्ष 01-वानिकी, लघु शीर्ष 796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष 54-"झारपार्क को अनुदान योजना"	79-सहायता अनुदान सामान्य इकाई	19P240601796540679	500.000
कुल आवंटित राशि				500.000

(Signature)

अर्थात् कुल रु0 500.00 लाख (पाँच करोड़ रुपये) मात्र राशि आवंटित की जाती है। ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-1 पर संलग्न है।

2. वर्तमान आवंटित राशि 500.00 लाख (पाँच करोड़ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन है तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क) को अनुदान योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप-मुख्य शीर्ष 01-वानिकी, लघु शीर्ष 796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष 54-“झारपार्क को अनुदान योजना” अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3. स्वीकृत की जा रही राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-301 दिनांक-11.03.2015 के आलोक में वन एवं पर्यावरण विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।

4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सदस्य सचिव, झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क) द्वारा प्राप्त राशि का व्यय, लेखा-संधारण, अंकेक्षण, राशि का प्रत्यर्पण आदि वित्तीय प्रक्रियाओं का अनुपालन सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय मापदंड/निदेश के अनुसार किया जायेगा।

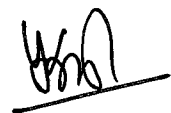
झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क) को दी गई राशि/अनुदान राशि का अनुश्रवण एवं नियमानुसार समुचित कार्रवाई करने का दायित्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची का होगा।

5. इस राशि का व्यय झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क) के प्रशासी निकाय द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुरूप किया जाएगा। योजनाओं का क्रियान्वयन प्रशासी निकाय से स्वीकृत करने के उपरांत सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाएगी तथा अभिलेख हेतु एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची के कार्यालय में समर्पित की जाएगी।

6. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों के अनुसार की जाएगी तथा निर्माण कार्यों का कार्यान्वयन नियमानुसार निविदा के आधार पर किया जायेगा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

8. कुल राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा तथा राशि पी0एल0 खाता में संधारित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।



9. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों के बैंक खाते/डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा।

11. सदस्य सचिव, झारखण्ड उद्यान समिति (झारपाक्स) के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उनके लिए वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

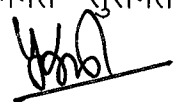
13. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय-2561 दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर एतद् संबंधी निर्गत परिपत्रों के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास से आवंटन प्राप्त होने के उपरांत की जायेगी। राशि की नियंत्री महालेखाकार से प्राधिकृत पत्र प्राप्त कर की जायेगी।

14. परियोजना के कार्यान्वयन में अनुदानित राशि का व्यय संगत वित्त नियमावली के आलोक में वास्तविकता के आधार पर किया जाएगा, जो स्वीकृत राशि के अन्तर्गत होगी तथा राशि का विचलन किसी अन्य कार्य में नहीं किया जाएगा एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र समर्पित करना होगा।

15. स्वीकृत योजना सफल कार्यान्वयन तथा ससमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र सरकार को समर्पित करने का उत्तरदायित्व सदस्य सचिव, झारखण्ड उद्यान समिति (झारपाक्स) पर होगा।

सदस्य सचिव, झारखण्ड उद्यान समिति (झारपाक्स) द्वारा मासिक भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि प्रतिवेदन तथा वार्षिक प्रतिवेदन-सह-उपयोगिता प्रमाण-पत्र वन एवं पर्यावरण विभाग तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराया जायेगा एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रति अध्यक्ष, झारखण्ड उद्यान समिति (झारपाक्स) को समर्पित की जायेगी।

16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय कोषागार संहिता के नियम सं०-300 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।



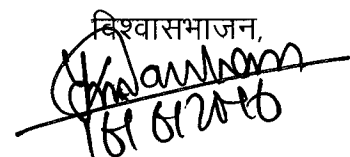
17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

18. झारखण्ड उद्यान समिति (झारपाक्स) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वन प्रमंडल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल, राँची होंगे, जिनके द्वारा सरकारी खाते से राशि की निकासी कर संबंधित पी0एल0 खाता में जमा की जायेगी।

19. वन विभागीय पत्रांक-4/यो0ब0-65/2015-2799 व0प0 राँची दिनांक-10.06.2016 की प्रति अनुलग्नक-1 पर संलग्न है।

20. ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-2 पर संलग्न है।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

18. झारखण्ड उद्यान समिति (झारपाक्स) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वन प्रमंडल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल, राँची होंगे, जिनके द्वारा सरकारी खाते से राशि की निकासी कर संबंधित पी0एल0 खाता में जमा की जायेगी।

19. वन विभागीय पत्रांक-4/यो0ब0-65/2015-2799 व0प0 राँची दिनांक-10.06.2016 की प्रति अनुलग्नक-1 पर संलग्न है।

20. ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-2 पर संलग्न है।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक :- यथोक्त।

ह0/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

/2015- 833

दिनांक :- 16.06.2016

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राँची रीजन/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/ सदस्य सचिव, झारखण्ड उद्यान समिति (झारपाक्स), झारखण्ड, राँची/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

17 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

18. झारखण्ड उद्यान समिति (झारपाक्स) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वन प्रमंडल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल, राँची होंगे, जिनके द्वारा सरकारी खाते से राशि की निकासी कर संबंधित पी0एल0 खाता में जमा की जायेगी।

19. वन विभागीय पत्रांक-4/यो0ब0-65/2015-2799 व0प0 राँची दिनांक-10.06.2016 की प्रति अनुलग्नक-1 पर संलग्न है।

20. ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-2 पर संलग्न है।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक :- यथोक्त।

ह0/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

/2015- 833

दिनांक :- 16.06.2016

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राँची रीजन/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/ सदस्य सचिव, झारखण्ड उद्यान समिति (झारपाक्स), झारखण्ड, राँची/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

ह0/-

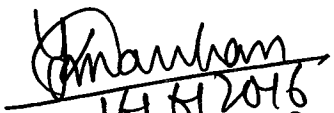
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :-01/यो0ब0/झा0पा0-59/2015- 833

दिनांक :- 16.06.2016

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

झारखंड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र सं०-4/यो० बजट-65/2015

2799

व०प० राँची, दिनांक- 10.06.2016

प्रेषक,

ए० के० रस्तोगी,
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
पो०-डोरण्डा,
झारखण्ड, राँची।

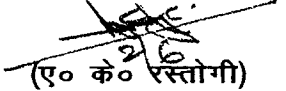
विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 में झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क) को अनुदान (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोगना) के अन्तर्गत 500.00 लाख (पाँच करोड़ रुपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग :- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का स्वीकृत्यादेश संख्या-04/यो०ब०-65/2015-02/स्वी० व०प०, राँची दिनांक-12.05.2016

महाशय,

निदेशानुसार ऊपर्युक्त विषय एवं प्रसंग में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-04/यो०ब०-65/2015-02/स्वी० व०प०, राँची दिनांक-12.05.2016 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क) को अनुदान (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोगना) के अन्तर्गत 500.00 लाख (पाँच करोड़ रुपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वन प्रमंडल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल, राँची होंगे, जिनके द्वारा सरकारी खाते से राशि की निकासी कर संबंधित पी० एल० खाता में जमा की जायेगी।

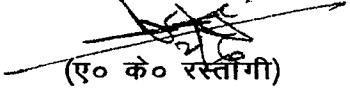
2. प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश को इस हद तक संशोधित समझा जाए। स्वीकृत्यादेश की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।


(ए० के० रस्तोगी)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक -4/यो० बजट-65/2015 2799 व०प०/राँची, दिनांक- 10.06.2016

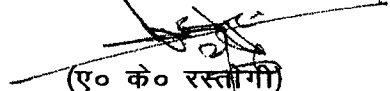
प्रतिलिपि :- राज्यपाल सचिवालय, झारखंड, राँची / विकास आयुक्त, झारखंड, राँची / योजना-सह-वित्त विभाग, झारखंड, राँची / सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, झारखंड, राँची / प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड, राँची / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखंड, राँची / संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / आंतरिक वित्त कोषांग एवं विभागीय बजट शाखा तथा अवर सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी, वन एवं पर्यावरण विभाग (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के निमित्त) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(ए० के० रस्तोगी)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक -4/यो० बजट-65/2015 2799 व०प०/राँची, दिनांक- 10.06.2016

प्रतिलिपि :- संबंधित उपायुक्त/कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(ए० के० रस्तोगी)

सरकार के विशेष सचिव



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/yb-59/2015/833

दिनांक - 16-Jun

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240601796540679 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 54 - झारपार्कस को अनुदान योजना 06 - अनुदान 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	37220	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FORES DIVISION RA	50,000,000.00 रुपये पाँच करोड़



50,000,000.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये पाँच करोड़

(Signature)
16/6/2016
(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND